(167)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

रिव्यू प्रकरण क्रमांक पीबीआर/पुनर्विलोकन/ग्वालियर/भू.रा./2018/3954 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.05.2018 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अ./ग्वा./भू.रा./2017/3274.

भगवानदास पुत्र श्री शिवलाल
निवासी घासमण्डी, बण्डाघुरा, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री राजीव रघुवंशी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 03.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा दिनांक 13.12.2017 आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को एक आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका क्रमांक 974/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2017 की प्रति के साथ प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आवेदक के आवेदन पर आयुक्त ने नायब तहसीलदार, वृत्त

बहोडापुर से प्रतिवेदन चाहा। नायब तहसीलदार ने प्रतिवेदन दिनांक 30.03.2017 प्रस्तुत कर बताया कि जोधपुरा सर्वे नम्बर 104/1 व 104/3 मंदिर श्री रामजानकी के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। सर्वे क्रमांक 104/2 रकबा 0115 हैक्टेयर नगरीय भूमि नजूल वर्तमान अभिलेख में दर्ज है तथा किसी नये रास्ते का निर्माण एवं नक्शे में रास्ता डालने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। आवेदक की भूमि ग्राम बुलबुलपुर में है और खेत में जाने का रास्ता भी ग्राम बुलबुलपुर से है। आवेदक के खेत की सीमा ग्राम जोधूपुरा सर्वे क्रमांक 104/2 से लगी भूमि है। आवेदक के आने जाने का रास्ता ग्राम बुलबुलपुर से है और उसी रास्ते से ट्रेक्टर आदि वाहन निकालते हैं, मौके पर कोई रास्ता नहीं है। आवेदक द्वारा उक्त तथ्यों को न्यायालय से छिपाया गया है। आयुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 21.08.2017 को आदेश पारित कर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। आवेदक द्वारा आयुक्त के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण पीबीआर/अ./ग्वा./भू.रा./2017/3274 दर्ज कर दिनांक 03-05-2018 को आदेश पारित करते हुये अपील निरस्त की गई। राजस्व मण्डल के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रकरण क्रमांक 1/2016-17/अ-13 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2016 को किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में अपील के माध्यम से चुनौती ना दिये जाने से नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1/16-17/अ-13 अंतिम हो चुका है। उक्त महत्वपूर्ण विधिक स्थिति को विचार में लेते हुए आदेश दिनांक 03.05.2018 का पुनर्विलोकन किया जाना व कलेक्टर व आयुक्त द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 06.06.2017 व 21.08.2017 क्रमशः अपास्त कर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 974/2017 आदेश दिनांक 10.12.2017 के प्रकाश में नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.12.2016 का क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

(2) अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर व आयुक्त द्वारा पारित विवादित आदेश माननीय उच्च न्यायालय के विविध याचिका क्रमांक 974/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2017 की मंशा के विपरीत पारित किया गया है, यह तथ्य इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03.05.2018 पारित करते समय दृष्टिओझल हो गया है, इस कारण आदेश का पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है।

(3) माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा विविध याचिका क्रमांक 974/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2017 के प्रकाश में कलेक्टर जिला ग्वालियर को नवीन कार्यवाही किए जाने की क्षेत्राधिकारिता नहीं थी। उक्त महत्वपूर्ण तथ्य आदेश दिनांक 03.05.2018 पारित करते समय त्रुटिवश विचार में ना लिए जाने से इस न्यायालय का आदेश दिनांक 03.05.2018 पुनर्विलोकन योग्य है।

(4) इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.05.2018 से आवेदक की अपील निरस्त करने का मुख्य व एकमात्र आधार पूर्व में आवेदक के द्वारा संहिता की धारा 135 के तहत प्रस्तुत आवेदन को अपर कलेक्टर द्वारा खारिज किया जाना व उसकी जानकारी नायब तहसीलदार को न दी जाना रहा है, जबकि इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.05.2018 पारित करते समय त्रुटिवश यह तथ्य दृष्टिओझल हो गया है कि पूर्व में आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष जो आवेदन पत्र संहिता की धारा 135 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था, वह सर्वे क्रमांक 104/1 व 105 में से होकर उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर आने-जाने का रास्ता होने से प्राइवेट पक्षकार मंदिर श्री रामजानकी स्थिति ग्राम जोधपुरा के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक भूमि सर्वे क्रमांक 85, 90, 108 में आम रास्ता है, व उक्त रास्ते के दक्षिण दिशा की ओर सर्वे क्रमांक 104/1 व 105 जो मंदिर रामजानकी के स्वामित्व की भूमि है, पर से आने-जाने का उपयोग करने के आधारपर रास्ते की मांग की गई थी। उक्त प्रकरण प्राइवेट पक्षकारों के मध्य था व अपर कलेक्टर द्वारा इसी आधार पर कि उक्त भूमि जिसका स्वत्व मूर्ति श्री रामजानकी बांके रूप में अवस्थित है, जिसको किसी भी व्यक्ति द्वारा मूर्ति के द्वारा धारित की गई भूमि के हित के विरूद्ध कोई समझौता किया जाना स्वत: ही शून्यवत हो जाता है। इस आधार पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया था, जबकि वर्तमान प्रकरण में किसी नवीन रास्ते की मांग नहीं की गई थी, बल्कि शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 104/2 व 104/3 का उपयोग

व उपभोग आवेदक अपनी भूमि पर आने-जाने के एकमात्र रूप से मार्ग के रूप में सुखाचार के माध्यम से करता है। उस पर मैरिज गार्डन बनाकर अवरोध उत्पन्न कर लिए जाने से अवरोध हटाकर रास्ता प्रदान करने संबंधी सहायता की मांग की गई थी। पूर्व में कलेक्टर के समक्ष प्रचलित प्रकरण व वर्तमान प्रकरण के विवादित बिंदु दोनों एक-दूसरे से पृथक्-पृथक् थे तथा वर्तमान प्रकरण के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर के निर्देशानुसार नायब तहसील के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2016 का क्रियान्वयन व निष्पादन कराये जाने संबंधी आदेश पारित किया जाना था, जो कि आदेश दिनांक 03.05.2018 पारित करते समय इस न्यायालस से उक्त तथ्य दृष्टिओझल हो गये थे, इस कारण उक्त आधार पर भी आदेश दिनांक 03.05.2018 का पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है।

(5) अन्यथा भी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत पश्चात्वर्ती राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट व प्रतिवेदन नक्शा मौका अनुसार भी आवेदक की भूमि स्थित ग्राम बुलबुलपुरा पर जो कि ग्राम जोधपुरा से लगी भूमि है, के चारों तरफ प्लाट व अन्य कोई रास्ता नहोना दर्शित किया गया है तथा जो वैकल्पिक रास्ता सुझाया गया है, वह राय कॉलोनी से आता है, जो कि प्राइवेट कॉलोनी है, जिसके अलावा अन्य कोई रास्ता आवेदक की भूमि पर आने-जाने के लिए दर्शित नहीं किया गया है तथा प्राइवेट कॉलोनाइजर्स के द्वारा वह वैकल्पिक रास्ता जो सुझाया गया है, कभी बंद किया जा सकता है। इस कारण भी उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 104/2 व 104/3 पर से अवरोध हटाकर आवेदक की भूमि पर आने-जाने के लिए रास्ता दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था, जिसे विचार में लिए बगैर आदेश दिनांक 03.05.2018 पारित किया गया है, जिसके आधार पर भी आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

अत: उनके द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 का पुनर्विलोकन किया जाना व अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, आयुक्त द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 06.06.2017 व 21.08.2017 क्रमश: अपास्त कर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 974/2017 आदेश दिनांक 10.02.2017 के प्रकाश में नायब तहसीलदार के दिनांक 29.12.2016 का क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने का आदेश पारित कर नजूल शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 104/2 व 104/3 पर से अवरोध हटाया जाकर आवेदक की कृषि

भूमि पर आने-जाने हेतु मार्ग सुगत किए जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में कलेक्टर, आयुक्त एवं इस न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखी जाकर प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त किया जाये।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा गुण-दोष पर कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही ऐसी कोई नई बात बताई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो कि पुनर्विलोकन का आधार नहीं है। आवेदक द्वारा पूर्व में संहिता की धारा 135 के अंतर्गत निजी भूमि से प्रश्नाधीन रास्ता चाहा गया था, जो नहीं मिला तो आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन रास्ता रूढिगत बताते हुए संहिता की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जबकि स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन रास्ता रूढिगत नहीं है। दर्शित परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन का कोई आधार नहीं होने से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 स्थिर रखा जाता है। पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर